न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 126/2016

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. नारायणलाल उर्फ गुणीया पुत्र देवाराम जाति–देवासी, निवासी ग्राम मेव, तहसील–सोजत।	1.	गुणिया पुत्र वेनाराम, जाति–राईका, निवासी ग्राम मेव तहसील–सोजत।
	2.	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

01. श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री कैलाश दवे एवं श्री पवन दवे अधिवक्तागण अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 21.08.2020

वकील प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा मेव के रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के पूर्व के ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा, किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित थी। जिसके नये ख0नं0 178 रकबा 0.1000 है0 तथा ख0नं0 232 रकबा 1.1900 है0 कुल किता खसरा 2 रकबा 1.2900 है0 कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जा काश्त स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पुराने ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम जो कि पूर्व में सरकारी कृषि भूमि यानि सिवाय चक कृषि भूमि थी। जिस पर प्रार्थी के पिता देवाराम का 07 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी के पिता के पश्चात् प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के ऐलोटमैन्ट हेतु एक आवेदन भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त समिति के अध्यक्ष तहसीलदार सोजत द्वारा माफिक कब्जा अनुसार प्रार्थी के नाम उपरोक्त कृषि भूमि सम्वत् 2024 से 2035 के लिए भूमि आवंटित कर दिनांक 08.06.1967 को आदेश पारित किया गया, जो कृषि भूमि प्रार्थी को आवंटित की गई। चूंकि प्रार्थी को लाड़ प्यार से गुणिया के नाम से जाना व पहिचाना जाता था। इसलिये आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र गुणीया के नाम से प्रस्तुत किया गया तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम आवंटित की गई। प्रार्थी गुणीया तथा नारायणलाल दोनो एक ही नाम के व्यक्ति है तथा प्रार्थी को गुणीया व नारायणलाल दोनो नामो से जाना व पहिचाना जाता है यानि गुणीया उर्फ नारायणलाल पुत्र देवाराम प्रार्थी ही है। तहसीलदार सोजत के आदेश दिनांक 08.06.1967 के अनुसार राजस्व अधिकारियो द्वारा नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 13.06.1967 दर्ज करते समय माफिक आदेशानुसार नामान्तरकरण दर्ज न कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकण विधि विरूद्व रूप से दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का आज दिन कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ऐलोट भी नही की गई। फिर भी राजस्व अधिकारियो द्वारा विधि विरूद्व तरीके से माफिक आदेश दिनांक 08.06.1967 के अनुसार म्यूटेशन इन्द्राज न कर अप्रार्थी संख्या 1 के ना विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया तथा तहसीलदार सोजत द्वारा बिना कब्जे की जांच किये तथा बिना आदेश की जांच किये उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। जो म्यूटेशन संख्या 221 प्रार्थी के हक व अधिकारो के विरूद्व बेअसर व शून्य है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

सैटलमेन्ट के पूर्व से भी प्रार्थी के पिता तथा बाद आवंटन प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कब्जा काश्त स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि में सैटलमेन्ट के पूर्व की खसरा गिरदावरी में प्रार्थी का नाम बतौर काश्तकार इन्द्राजसुदा है। सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा व आदेश दिनांक 08.06.1967 में हुये ऐलाटमेन्ट के अनुसार इन्द्राज सही नही किया गया जबकि पुराने ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा में से 07 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी को आवंटित की गई थी उसके बावजूद राजस्व अधिकारी पटवारी ने तहसीलदार सोजत के आदेश द्वारा प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश होने के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर प्रार्थी का नाम इन्द्राज न कर अप्रार्थी का नाम इन्द्राज कर दिया, जो इन्द्राज प्रार्थी के अधिकारों के बेअसर व शून्य है। राजस्व अधिकारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खातेदारी अधिकार देने या हटाने का अधिकार क्षेत्र के परे जाकर विधि के प्रावधानो के विपरीत आदेश दिये गये हैं तथा आवंटन कमेटी को भी बिना कब्जे के आवंटन करने का अधिकार प्राप्त नही है। इसलियें उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध मे पारित सभी आदेश निरस्त होने योग्य है तथा तमाम इन्द्राज प्रार्थी के अधिकारो के विरूद्व बेअसर व शून्य है।

अप्रार्थी सं0 1 द्वारा हाजा न्यायालय में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 107/2012 प्रस्तुत किया गया था जो वाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.06.2015 को जरिये विड्रोल खारिज कर दिया। जिसमें भी प्रार्थी ने यह स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम एलोटसुदा है तथा प्रार्थी का ही उपरोक्त कृषि भूमि कदीमी कब्जा काश्त स्थित है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद को जरिये विड्रोल खारिज कर अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 129/2012 प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी को बिना सुनवाई का अधिकार दिये बालें बालें हाजा न्यायालय से दिनांक 24.06.2015 को प्रार्थी के विरूद्व आदेश पारित कर प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये जो आदेश प्रार्थी के हक व अधिकारों के विरूद्व बेअसर व शून्य है। पुराने ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा जिसके नये ख0नं0 178 रकबा 0.01000 है0 तथा ख0नं0 232 रकबा 1.1900 है0 पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त 2012 से पूर्व चला आ रहा है तथा पुराने ख0नं0 315 रकबा 15 बीघा मे से साढे सात बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम आवंटित की गई। लेकिन राजस्व अधिकारियो द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी की हक, हकूक खातेदारी की कृषि भूमि है। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज न कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त इत्यादि नही है जो कृषि भूमि प्रार्थी के हक, हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त की है तथा सम्वत् 2012 पूर्व से प्रार्थी के पिता का तथा बाद आवंटन प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि की शुरू से लेकर आज दिन तक बिगोड़ी की राशि प्रार्थी ही जमा करताता रहा है जिससे भी प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर, कदीमी से , बिना किसी बाधा के, खुल्मखुल्ला, सारस्वत रूप से व शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पिता का कब्जा काश्त सम्वत् 2012 से पूर्व से होने से तथा एलोट प्रार्थी के नाम किये जाने से एवं नामान्तरकरण संख्या 221 अप्रार्थी के नाम विधि विरूद्व रूप से कब्जे के अभाव में दर्ज कर दिये जाने से अप्रार्थी के नाम स्वीकृत म्यूटेशन प्रार्थी के हक व अधिकारो के विरूद्व बेअसर व शून्य होने से तथा कब्जे के अभाव में तहसीलदार सोजत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का पारित आदेश भी प्रार्थी के हक व अधिकारो के विरूद्व बेअसर व शून्य है। जिस कृषि भूमि पर प्रार्थी का वादगस्त आराजीयात में करीब 50 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर, कदीमी, बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त खुल्लमखुला व सारस्वत रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि के चारो ओर प्रार्थी द्वारा पुराने धोरा पाली किये हुये है। पिछले 50 वर्षो से अधिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

समय से वादग्रसत भूमि में हर वर्ष प्रार्थी व उसके पिता काश्त करते आये है। प्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च कर वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु उपयोगी व उपजाउ बनाया तथा प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि की हर वर्ष लगातार राजस्व लगान (बिगोड़ी) की राशि भी राजस्व अधिकारियों के पास जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र के परे जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज न कर अप्रार्थी सां 1 का नाम दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थी तमाम प्रविष्ठियां निरस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थी अपने हक, हकूक, खातेदारी की घोषणा तथा विकल्प में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कब्जा काश्त पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से होने से हर वर्ष काश्त करने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अकूल कब्जे से भी खातेदार काश्तकार हो चुका है। जिससे प्रार्थी हक, हकूक, खातेदारी घोषणा का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 01.07.2016 को प्रार्थी के कब्जासुदा, खातेदारी कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने लगा तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि मैनें वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी मैनें अपने नाम करवा दी है तथा मैं तुम्हें उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल कर दूंगा तब प्राथी ने दिनांक 04.07.2016 को वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.06.2015 को प्रार्थी को बिना सुनवाई का अधिकार दिये बालें बालें न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 पटवारी हल्का से मिलीभगत कर बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने को आमादा है अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को यह भी ऐलानिया धमकी दी कि वह अपने साथ पटवारी हल्का व पुलिस के बल पर प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करके रहेगा। अप्रार्थीगण को बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रार्थी के हक, हकूक, कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी है। अन्यथा प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी तथा प्रार्थी को अपने संवैधानिक अधिकारो से वंचित होना पडेगा अतः प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 212 पेश है। प्रार्थी व उसके पिता वादग्रस्त कृषि भूमि में विगत 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त होने से एवं कब्जे के अनुसार प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि का नियमन होने से व वादग्रस्त कषि भूमि पर कब्जा काश्त होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी माफिक कानून वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है, मात्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण को तुरंत जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नही फरमाया गया तो प्रार्थी के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो मे नही आंका जा सकेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण को रोकने से अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नही होने वाली है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत कर ताफैसला मूल वाद निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की सादिर किये जाने की, कि सरहद मौजा मेव के खसरा न. 178 रकबा 0.1000 है0 व ख0न0 232 रकबा 1.1900 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 315 मे से 07 बीघा 10 बिस्वा वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रार्थी को अप्रार्थीगण विधिक प्रक्रिया के बिना न तो स्वयं बेदखल करे न ही अपने नौकर, एजेन्ट इत्यादि से ही करावे व कब्जा में दखलअंदाजी नही करें अप्रार्थीगण को रोका जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 13.02.2017 को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

... प्रतीप कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.01.2016 को जवाब प्रा0 पत्र पेश किया की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, शा0मि0 है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रा0 पत्र अप्रार्थी सं0 1 की ओर से पेश किया कि प्रार्थी ने राजस्व मूल वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बिना किसी ठोस दस्तावेज के अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि को विधि विरूद्ध रूप से हड़प करने की नियत से व तंग परेशान करने हेतु उक्त वाद गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जिसमे प्रार्थी को कोई सफलता प्राप्त होने की उम्मीद नही है। सरहद मौजा ग्राम गेव के सेटलमेंट के पूर्व के पुराने खसरा संख्या 315/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि अवश्य आई स्थित थी। जो अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त की राजस्व रेकर्ड मे बतौर गैर खातेदार इन्द्राज सुदा थी। जिसके नये खसरा नम्बर 178 रकबा 0.1000 हैक्टर व खसरा नम्बर 232 रकबा 1.1900 हैक्टर कायम किये गये। जो वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे बहैसियत खातेदार इन्द्राज सुदा है। प्रार्थी कायह लिखना सर्वथा गलत है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्ज काश्त नही रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि द्वितीय सेटलमेंट के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 315/1 रकबा 15 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सम्वत 2024 के पूर्व से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गैर खातेदार इन्द्राज सुदा थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सख्या 1 का कब्जा काश्त सैटलमेंट से लेकर आज दिन तक बहैसियत खातेदार के चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 का सम्वत 2024 के पूर्व से सैटलमेंट के समय से कब्जा काश्त निर्बाध रूप से कई वर्षो से चला आया है। जिस कब्जा काश्त की भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार के रूप मे इन्द्राज किया गया व इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2025–28, 2029–2032 मे गैर खातेदार के रूप मे इन्द्राज चली आई है। जो कि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रार्थी का यह लिखना सर्वथा गलत है कि वादस्थ भूमि पर प्रार्थी के पिता देवाराम का 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा था, प्रार्थी के पिता के पश्चात प्रार्थी का चला आ रहा है। बल्कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 सैटलमेंट से लगातार आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी का यह लिखना भी सर्वथा गलत है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन हेतु आवेदन भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश किया, जिस पर समिति के अध्यक्ष तहसीलदार सोजत द्वारा माफिक कब्जा प्रार्थी के नाम आवंटित कर आदेश दिनांक 08.06.1967 को पारित किये गये, जो भूमि प्रार्थी को आवंटित की गई। बल्कि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर सैटलमेंट से अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा काश्त लगातार होने से मौके पर कब्जे की जांच कर राजस्व अधिकारीयो द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम राजस्व रेकर्ड मे गैर खातेदार इन्द्राज की गई। जिसका अंकन भी सम्वत 2025–28 की जमाबंदी में है। जिसमें सम्वत 2024 से 2033 तक अप्रार्थी संख्या 3 गैर खातेदार के रूप में दर्ज सुदा है। सर्वप्रथम उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तो प्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य स्वतः गलत व मिथ्या है। प्रार्थी द्वारा किस दिनांक वर्ष मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया, अंकन नही है। यदि किया भी गया है वह गलत मिथ्या व फर्जी है, तथा यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थी को भूमि आवंटित की गई। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित की जाती तो अवश्य ही राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज किया जाता। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी को आवंटित नही हुई है। मात्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से हड़प करने की नियत से यह अंकित किया कि प्रार्थी को लाड प्यार से गुणीया के नाम से जाना व पहचाना जाता था। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि गुणीया तथा नारायणलाल दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। यह भी गलत है, गुणीया उर्फ नारायणलाल पुत्र देवाराम प्रार्थी ही है। प्रार्थी का यह लिखना सर्वथा गलत है कि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

राजस्व अधिकारीयों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 221 दर्ज करते समय माफिक आदेशानुसार दर्ज न कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम म्यूटेशन विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया। यह भी लिखना गलत है कि वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी सख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा तथा उक्त भूमि कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कभी भी आवंटित नही की गई। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ भूमि पर सैटलमेंट से लगातार आज दिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त उपभोग बिना किसी बाधा अडचन के शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। जिस भूमि में राजस्व अधिकारीयो द्वारा कब्जे की जांच कर विधि अनुसार प्रक्रिया अपना कर अप्रार्थी संख्या 3 का मौके पर कब्जा काश्त होने से राजस्व रेकर्ड मे बतौर गैर खातेदार के रूप मे जरिए नामान्तरकरण नाम इन्द्राज किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नही की है। वादस्थ भमि में प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कभी भी कोई सरोकार नही रहा है, तो प्रार्थी द्वारा म्यूटेशन सख्या 221 अपने हक अधिकारो के विरूद्ध बेअसर व शून्य होना गलत अंकित करवाया है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि वादस्थ भूमि में सैटलमेंट पूर्व की खसरा गिरदावरी में प्रार्थी का नाम बतौर काश्तकार इन्द्राज सुदा है, तथा यह भी गलत है कि सैटलमेंट अधिकारीयो द्वारा इन्द्राज सही नही किया गया। बल्कि राजस्व दस्तावेजो अनुसार सम्वत 2024 व सम्वत 2025 की खसरा गिरदावरी मे वादस्थ भूमि में गुणीया पुत्र वेना आवंटित नही की गई। बल्कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में बिल्कुल विधि पूर्ण इन्द्राज किया गया है, जो कतई बेअसर व शून्य नही है। क्योकि यदि वादस्थ भूमि मे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक होता तो अवश्य ही प्रार्थी द्वारा जब आवंटन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना बता रहा है, तथा प्रार्थी का नाम दर्ज न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की कोई आपति आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। जिसका भी कोई स्पष्ट विवेचन वादपत्र व प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है। जिससे तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त लगातार होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अधिकारीयो द्वारा बिल्कुल सही इन्द्राज किया गया है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में समपूर्ण जांच कर कब्जा काश्त होने से इन्द्राज किया गया है। जिस आवंटन इन्द्राज को प्रार्थी ने इन्द्राज किया गया है। जिस आवंटन इन्द्राज को प्रार्थी ने कभी भी सक्षम न्यायालय में चेलेंज नहीं किया है। जिसको निरस्त करवाये बिना प्रार्थी का उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा में खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद पेश किया था जो वाद विड्रो कर दिया गया। जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 ने वादस्थ भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना सही अंकित किया है, तथा अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद को जरिए विड्रोल खारिज करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में गुणीया पुत्र देवाराम के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्ती कर गुणीया पुत्र वेनाराम इन्द्राज करने के आदेश पारित किये गये। क्योकि वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 व 2029 से 2032 मे गैर खातेदार गुणीया पुत्र वेना के नाम से इन्द्राज की गई। लेकिन वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश पुत्र वेना के स्थान पर गुणीया पुत्र देवाराम दर्ज कर दिया। जबकि गुणाराम पुत्र देवाराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मेव मे नही है, न ही गुणाराम पुत्र देवाराम को उक्त आराजीयात से कोई लेना देना है न ही कभी इस नाम से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे गलत प्रविष्टि होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हक अधिकार पर प्रतिकूल असर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद पेश किया गया था। लेकिन उक्त वादस्थ भूमि में गलत प्रविष्टि के कारण रेकर्ड दुरूस्ती को होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद विड्रोल कर रेकर्ड दुरूस्ती का प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज का विवेचन कर अप्रार्थी संख्या 1 का प्रा0 पत्र विधि सम्मत स्वीकार करने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

आदेश पारित किया गया, जो आदेश कतई बेअसर व शून्य नही है। प्रार्थी द्वारा तथ्य पूर्व में अंकित है, जिसका विस्तृत जवाब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व मे दिया जा चुका है, मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त पद मे अनावश्यक दौहराए गए है। अप्रार्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादस्थ भूमि में मौके पर कब्जे की जांच कर अप्रार्थी संख्या 3 का लगातार कब्जा काश्त होने से सही इन्द्राज किया गया है, जो कतई विधि विरूद्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ही वादस्थ भूमि पर सैटलमेंट से लगातार आज दिनांक तक काबिज काश्त है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई लेना देना है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में बिघोडी की राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने के तथ्य अंकित किये है, जो गलत है। जब प्राथी का उक्त भूमि पर काश्त ही नही है, तो प्रार्थी के नाम बिघोडी जमा करवाने के तथ्य स्वतः ही गलत व मिथ्या है। यदि ऐसी कोई बिघोडी प्रार्थी द्वारा जारी करवाई है वह फर्जी व कूट रचित है। इसलिए वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादस्थ भूमि पर कभी भी प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादस्थ भूमि पर करीब 50 वर्षो से स्वयं का कब्जा काश्त होने के तथ्य गलत अंकित किये है। बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की कब्जा काश्त की भूमि है। जिस भूमि मे राजस्व अधिकारीयों द्वारा सम्पूर्ण जांच कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार व उसके पश्चात खातेदार के रूप में दर्ज की गई, जो विधि सम्मत इन्द्राज की गई, जिन प्रविष्ठियों को निरस्त करवाने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी स0 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि को विधि विरूद्ध से हड़प करने की नियत से बिना किसी वैध अधिकार उक्त वाद व प्रा0 पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.07.2016 को प्रार्थी के कब्ज सुदा भूमि में प्रवेश कर कब्जे में दखल करने लगा तथा भूमि से बेदखल करने की धमकिया दी । सर्वप्रथम जब प्रार्थी का उक्त भूमि में न तो कभी कब्जा काश्त रहा है, न ही किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित रहा है तो कब्जे में दखल करने व धमकिया देने के तथ्य स्वत ही मिथ्या हो जाते है। प्रार्थी का यह लिखना भी गलत है कि दिनांक 04.07.2016 को जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.06.2015 को प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया। बल्कि प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रार्थी का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी से मिलावट कर प्रार्थी को बेदखल करने व बेदखल करने की धमकियॉ दी, जब प्रार्थी का कब्जा ही नही है तो बेदखल करने की बात गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से सैटलमेंट से लगातार काबिज काश्त होकर वादस्थ भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है, तथा सम्वत 2024 से राजस्व रेकर्ड मे बहैसियत गैर खातेदार व उसके पश्चात सैटलमेंट पश्चात से खातेदार के रूप मे राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी स0 1 का काबिज काश्त है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रा पत्र में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है क्योकि वादस्थ भूमि पर कभी भी प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही प्रार्थी को उपरोक्त भूमि कभी आवंटन व नियमन हुई है। बल्कि वादस्थ भूमि पर लगातार अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज किया गया। तब से लगाकर अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भूमि का एक मात्र खातेदार इन्द्राज चला आ रहा है, तथा मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बल्कि प्रार्थी की नियतबद्ध हो जाने से लाठी लकडी के बल पर बिना किसी वैध अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि को हडप करने का आशय रखता है। इसी नियत से उक्त प्रा0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

न प्रस्तुत किया है, यदि अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो मे नही आंका जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 की वादस्थ भूमि आजीविका का एकमात्र साधन है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 विधिक एवं संवैधानिक अधिकारो का हनन होगा तथा वादस्थ भूमि मे प्राप्त खातेदारी हक हकूको से वंचित होना पडेगा। इसलिए अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी ने जबाब प्रा0 पेश कर प्रार्थी का प्रा0 पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने हस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा दस्तावेजात के आधार पर विवादग्रस्त उक्त आराजी की भमि से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से अप्रार्थी को वाद निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाव में अधिवक्ता अप्रार्थी ने सं0 1 ने प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी, जबाब प्रा0 पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 तथा दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुतः प्रा0 पत्र के संलग्न दस्तावेजात अनुसार विस्तृत निर्णय मूल वाद में तनकियात कायम होकर बाद साक्ष्य सबूतो के दस्तावेजात तथा साक्ष्यों के आधार पर बहस वकुलाय सुनी जाकर विवेचन/विश्लेषण पश्चात् हक अधिकारों का विनिश्चय किया जा सकेगा। तथापि न्यायालय हाजा द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2016 को पुखता किया जाना तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से अप्रार्थी संख्या 1 को वाद निर्णय तक रोका जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा मेव, तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 178 व 232 कुल किता 2 रकबा 1.2900 हैक्टर किस्म बारानी अवल व बारानी दोयम भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी आदि करने अप्रार्थी संख्या 1 को वाद निर्णय तक रोका जाता है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2018 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner